

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,

आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 14/2016

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ।

—बनाम—

अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह जांट, निवासी ओजटू, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 व 2 खण्ड (ख)(1)(5)(8)

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) —————सरकार की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 11.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 22.11.2016 को गैर सायल अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह जांट, निवासी ओजटू, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह जांट, निवासी ओजटू, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। यह जो ओजटू व कस्बा चिड़ावा, मारपीट व लड़ाई-झगड़े का आदतन अपराधी है तथा अनावश्यक ही अपराधिक गतिविधियों से ओजटू एवं आस-पास के इलाका में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसके द्वारा मारपीट व लड़ाई-झगड़ा कर लोगों को भयभीत किया जा रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 17 अभियोग दर्ज किये गये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है।

48

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 356/11 धारा 341,323,354 व 379 भादस थाना पिलानी में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 240/11 धारा 341,323,34 भादस में दिनांक 31.10.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
2. अभियोग संख्या 80/12 धारा 143, 323, 382 व 341 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 85 दिनांक 29.03.2012 धारा 341,323,34 भादस में दिनांक 02.04.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
3. अभियोग संख्या 196/12 धारा 12/54 आबकारी अधिनियम में थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 164 दिनांक 25.06.2012 धारा 12/54 आबकारी अधिनियम में दिनांक 23.07.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
4. अभियोग संख्या 211/12 धारा 143, 323, 382 व 341 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 211 दिनांक 28.08.2012 धारा 341,323,34 भादस में दिनांक 15.09.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
5. अभियोग संख्या 290/12 धारा 143, 323, 379 व 341 भादस व 3(10) एससी/एसटी एक्ट थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 211 दिनांक 28.08.2012 धारा 341,323,34 भादस में दिनांक 15.09.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
6. अभियोग संख्या 110/13 दिनांक 12.04.13 धारा 147, 149, 323, 341, 427 भादस थाना कोतवाली झुन्झुनू में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं0 62 दिनांक 27.04.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

अति. जिला मजिस्ट्रेट

झुन्झुनू

7. अभियोग संख्या 111/13 दिनांक 13.04.13 धारा 147, 149, 323, 341 427 भादस थाना कोतवाली झुन्झुनू में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 63 दिनांक 27.04.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
8. अभियोग संख्या 221/13 दिनांक 02.06.13 धारा 379 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 205 दिनांक 06.10.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
9. अभियोग संख्या 325/13 दिनांक 10.08.13 धारा 137, 341, 382, 427 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 256 दिनांक 11.12.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
10. अभियोग संख्या 114/13 दिनांक 14.06.13 धारा 143,365,341,323, व 379 भादस थाना सूतजगढ में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 96 दिनांक 24.09.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
11. अभियोग संख्या 129/13 दिनांक 12.08.13 धारा 341,323,365,382, व 34 भादस थाना सदर झुन्झुनू में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 141 दिनांक 23.11.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
12. अभियोग संख्या 117/13 दिनांक 11.08.13 धारा 341,323,384 भादस थाना मुकुन्दगढ में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 124 दिनांक 22.12.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
13. अभियोग संख्या 04/15 दिनांक 02.02.15 धारा 341,323,452,354 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 05 दिनांक 27.02.15 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
14. मु० न० 151/15 दिनांक 27.04.15 धारा 399,402 भादस व 3/25 आमर्स एक्ट थाना चिड़ावा अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण जैर तफतीश है।
15. मु० न० 158/15 दिनांक 03.05.15 धारा 341,323 भादस थाना चिड़ावा अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण जैर तफतीश है।

16. मु० न० 175/15 दिनांक 07.05.15 धारा 143,341,323 भादस थाना चिड़ावा अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण जैर तफतीश है।

17. मु० न० 236/15 दिनांक 07.06.15 धारा 4/25 आमर्स एक्ट थाना चिड़ावा अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण जैर तफतीश है।

इस प्रकार अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह जांट, निवासी ओजटू, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 व 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (1) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 24.08.15 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर गवाह श्री विरेन्द्र जाखड़, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना चिड़ावा, झुन्झुनू व श्री ईश्वर सिंह तत्कालीन मुख्य आरक्षी एच. एम., थाना चिड़ावा, झुन्झुनू के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना पिलानी व थाना चिड़ावा, झुन्झुनू में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं—

1. अभियोग संख्या 356/11 धारा 341,323,354 व 379 भादस थाना पिलानी में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 240/11 धारा 341,323,34 भादस में दिनांक 31.10.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
2. अभियोग संख्या 80/12 धारा 143, 323, 382 व 341 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 85 दिनांक 29.03.2012 धारा 341,323,34 भादस में दिनांक 02.04.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
3. अभियोग संख्या 196/12 धारा 12/54 आबकारी अधिनियम में थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 164 दिनांक 25.06.2012 धारा

43
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

- 12/54 आबकारी अधिनियम में दिनांक 23.07.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
4. अभियोग संख्या 211/12 धारा 143, 323, 382 व 341 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 211 दिनांक 28.08.2012 धारा 341,323,34 भादस में दिनांक 15.09.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
 5. अभियोग संख्या 290/12 धारा 143, 323, 379 व 341 भादस व 3(10) एससी/एसटी एक्ट थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 211 दिनांक 28.08.2012 धारा 341,323,34 भादस में दिनांक 15.09.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
 6. अभियोग संख्या 110/13 दिनांक 12.04.13 धारा 147, 149, 323, 341, 427 भादस थाना कोतवाली झुन्झुनू में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 62 दिनांक 27.04.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
 7. अभियोग संख्या 111/13 दिनांक 13.04.13 धारा 147, 149, 323, 341 427 भादस थाना कोतवाली झुन्झुनू में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 63 दिनांक 27.04.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
 8. अभियोग संख्या 221/13 दिनांक 02.06.13 धारा 379 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 205 दिनांक 06.10.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
 9. अभियोग संख्या 325/13 दिनांक 10.08.13 धारा 137, 341, 382, 427 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 256 दिनांक 11.12.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
 10. अभियोग संख्या 114/13 दिनांक 14.06.13 धारा 143,365,341,323, व 379 भादस थाना सूतजगढ में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 96 दिनांक 24.09.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

11. अभियोग संख्या 129/13 दिनांक 12.08.13 धारा 341,323,365,382, व 34 भादस थाना सदर झुन्झुनू में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 141 दिनांक 23.11.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
12. अभियोग संख्या 117/13 दिनांक 11.08.13 धारा 341,323,384 भादस थाना मुकुन्दगढ में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 124 दिनांक 22.12.13 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
13. अभियोग संख्या 04/15 दिनांक 02.02.15 धारा 341,323,452,354 भादस थाना चिड़ावा में पंजीबद्ध कर आरोप पत्र सं० 05 दिनांक 27.02.15 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
14. मु० न० 151/15 दिनांक 27.04.15 धारा 399,402 भादस व 3/25 आमर्स एकट थाना चिड़ावा अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण जैर तफतीश है।
15. मु० न० 158/15 दिनांक 03.05.15 धारा 341,323 भादस थाना चिड़ावा अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण जैर तफतीश है।
16. मु० न० 175/15 दिनांक 07.05.15 धारा 143,341,323 भादस थाना चिड़ावा अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण जैर तफतीश है।
17. मु० न० 236/15 दिनांक 07.06.15 धारा 4/25 आमर्स एकट थाना चिड़ावा अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण जैर तफतीश है।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 3 व 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में अंकित धारा के अधीन 5 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुन्झुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह जांट, निवासी ओजटू, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना पिलानी व थाना चिड़ावा, झुन्झुनू में अभियोग संख्या 356/11 धारा 341,323,354 व 379

45
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

भादस,थाना पिलानी अभियोग संख्या 80/12 धारा 143, 323, 382 व 341 भादस, 196/12 धारा 12/54 आबकारी अधिनियम, अभियोग संख्या 211/12 धारा 143, 323, 382 व 341 भादस व अभियोग संख्या 290/12 धारा 143, 323, 379 व 341 भादस व 3(10) एससी/एसटी एक्ट में पुलिस थाना चिड़ावा झुन्झुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जो न्यायालय में विचाराधीन है। गैर सायल अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 5 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। जिसका लगातार ऐसा राज0 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध करना आवश्यक नहीं है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (11) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह जांट, निवासी ओजटू, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (11) के तहत 3 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल अंकुर उर्फ अंकुरिया पुत्र होशियार सिंह उक्त 3 माह की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना चिड़ावा झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना चिड़ावा झुन्झुनू उचित पते की सूचना

प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे । यह निर्णय दिनांक 11.03.2020 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

48
11.03.2020
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू
अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



48
11.03.2020
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू
अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू